<u>न्यायालयः—श्रीष कैलाश शुक्ल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर,</u> जिला—बालाघाट (म.प्र.)

आप. प्रक. क.—1049 / 2016 <u>संस्थित दिनांक—07.10.2016</u> <u>फाईलिंग नं.—301155 / 2016</u> सी.एन.आर.नं—एम.पी—50050012192016

// <u>निर्णय</u> // <u>(आज दिनांक–15/10/2016 को घोषित)</u>

- 1— आरोपी के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279, 337 के तहत आरोप है कि उसने दिनांक—03.09.2016 को शाम 7.00 बजे, थाना बैहर अंतर्गत ग्राम मोवाला रोड में लोकमार्ग पर वाहन कमांक—एम.पी—50 / एम.सी—3028 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया, उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर आहत प्रेमसिंह को चोट पहुंचाकर साधारण उपहित कारित की।
- 2— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि पुलिस थाना बैहर में पदस्थ प्रधान आरक्षक भगत सिंह को बैहर अस्पताल से तहरीर प्राप्त हुई, जिसके आधार पर वह अस्पताल गया और आहत प्रेमसिंह के कथन लेख किये थे। आहत प्रेमसिंह ने बताया था कि दिनांक—02.09.2016 को वह शाम 7:00 बजे अपनी साईकिल से जा रहा था, तभी गांव में ही रहने वाले आरोपी रघुवैया ने तेज गित से अपनी मोटरसाईकिल चलाकर उसे टक्कर मार दी। टक्कर लगने से उसके दाहिनी पसली में चोट आई थी। उसका ईलाज बैहर अस्पताल में हुआ था। उपरोक्त आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध कमांक—185/2016, धारा—279, 337 भा.दं.वि. एवं मोटरयान अधिनियम की धारा—184 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। पुलिस द्वारा आहत का मेडिकल परीक्षण कराया गया, पुलिस ने अनुसंधान के दौरान घटनास्थल का मौका नक्शा बनाया, गवाहों के कथन लेखबद्ध किये गये तथा आरोपी से घटना में प्रयुक्त वाहन की जप्ती गई तथा आरोपी को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।
- 3— आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279, 337 के अपराध के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार

किया एवं विचारण का दावा किया। विचारण के दौरान आहत प्रेमिसंह ने आरोपी से राजीनामा कर लिया है। अतः आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—337 के अपराध से दोषमुक्त किया गया तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279 का अपराध शमनीय न होने से विचारण किया गया।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:—

1. क्या आरोपी ने दिनांक—03.09.2016 को शाम 7.00 बजे, थाना बैहर अंतर्गत ग्राम मोवाला रोड में लोकमार्ग पर वाहन क्रमांक—एम.पी—50/एम. सी—3028 को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?

विचारणीय बिन्दु कमांक-1 का निष्कर्ष :-

- 5— अभियोजन की ओर से परिक्षित साक्षी प्रेमसिंह (अ.सा.1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह आरोपी को जानता है। घटना दिनांक को वह ग्राम मोवाला के आमाटोला में अपनी साईकिल धकेल कर ले जा रहा था, तभी उसका पैर फिसल गया था और साईकिल सहित गिर गया था। उक्त दुर्घटना में उसे कंधे, पसली तथा सिर में चोट आई थी। इस संबंध में उसने पुलिस को बताया था। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर घटनास्थल का नजरीनक्शा प्रदर्श पी—1 तैयार किया था, जिस पर उसने अंगूठा लगाया था। अभियोजन द्वारा साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने से साक्षी ने इंकार किया कि दुर्घटना दिनांक को आरोपी ने अपने मोटरसाईकिल को तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर उसे टक्कर मार दी थी, जिससे वह साईकिल सहित गिर गया था। साक्षी ने अपना पुलिस कथन जिसमें इस बात का उल्लेख है कि आरोनी ने तेज गति से मोटरसाईकिल चलाकर उसे टक्कर मारी थी, पुलिस को लेख कराने से इंकार किया। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने अपने पुलिस कथन प्रदर्श पी—2 पर अंगूठा पुलिस वालों के कहने पर लगाया था।
- 6— अभियोजन साक्षी प्रेमसिंह ने कहा है कि वह घटना दिनांक को वह साईकिल धकेल कर ले जा रहा था और उसका पैर फिसल गया था, जिससे वह गिर गया था। आरोपी रघुवैया ने उपेक्षापूर्वक अथवा उतावलेपन से मोटरसाईकिल चलाकर उसे टक्कर नहीं मारी थी। उपरोक्त स्थिति में आरोपी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279 के अन्तर्गत अपराध किया जाना सन्देह से परे प्रमाणित नहीं माना जा सकता। अतएव आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279 के अपराध के अंतर्गत संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया जाता है।
- 7— प्रकरण में आरोपी अभिरक्षा में निरूद्ध नहीं रहा है। इस संबंध में पृथक से धारा–428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

8— प्रकरण में आरोपी की उपस्थिति बाबद् जमानत मुचलके द.प्र.सं. की धारा—437(क)के पालन में आज दिनांक से 6 माह पश्चात् भारमुक्त समझे जावेगें।

9— प्रकरण में जप्तशुदा मोटरसाईकिल कमांक—एम.पी—50/3028 को सुपुर्ददार रघुवैया गजिभये पिता तुलाराम गजिभये, उम्र—50 साल, निवासी ग्राम मोवाला, थाना बैहर, जिला बालाघाट को सुपुर्दनामा पर प्रदान की गई है, जो अपील अविध पश्चात् उसके पक्ष में निरस्त समझी जावे, अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया। मेरे निर्देश पर टंकित किया।

(श्रीष कैलाश शुक्ल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट (श्रीष कैलाश शुक्ल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर, जिला बालाघाट

